

UPGB010056112026



न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०-3/विशेष न्यायाधीश
(गैंगस्टर एक्ट), गौतमबुद्धनगर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 2263 सन् 2026

राजीव जैन बनाम उ०प्र० सरकार।

आदेश

29.06.2026

अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुआ। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त राजीव जैन की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार पाण्डेय द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर बल न देने का कथन किया गया एवं उनके अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर बल न देने की प्रविष्टि अंकित की गयी है। अतः प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है।

(सौरभ द्विवेदी)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०-3/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट),
गौतमबुद्धनगर।
(J.O. Code-UP 1711)

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"